न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/03/2019	2015/00029	14–03–2019	18–02–2021

01– हरिसिंह पुत्र छोटेलाल यादव जाति यादव निवासी ग्राम नसोपुर तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0।
–अपीलान्ट

बनाम

01– तहसीलदार भू0अ0 रामगढ़ जिला अलवर राज0।
02– नन्दलाल,
03– राधेश्याम पुत्रान् कन्हैयालाल जातियान यादव निवासीयान ग्राम खुटेटा कलां तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0।
–रेस्पाडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार रामगढ़ इंतकाल संख्या 491 आदेश दिनांक 26.07.1999

उपस्थितः–
01. श्री महादेव प्रसाद जांगिड़ –वकील अपीलान्ट
02. श्री अजय कुमार जांगिड़ –वकील रैस्पो0 नं. 2 व 3

——:: निर्णय ::——

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार रामगढ़ के आदेश दिनांक 26.07.1999 जिसके द्वारा नामान्तरकरण संख्या 491 वाके ग्राम चोरोटी इश्तमुरार तहसील रामगढ़ को रैस्पो0 सं0 2 व 3 के नाम मंजूर व तस्दीक किया गया, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट्स ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि साबिक खसरा नम्बर 758/0.34 है0, 759/0.41 है0 किता 2 कुल रकबा 0.75 है0 वाके ग्राम चोरोटी इश्तमुरार तह0 रामगढ़ में स्थित है जिस आराजी को बेचान करने का मुहायदा बय पूर्व खातेदारान् मु0 गैन्दी पत्नी गंगासहाय, भगवान सहाय पुत्र श्री गंगासहाय, नबीरा घीसा जाति अहीरान् निवासीयान ग्राम चोरोटी इश्तमुरार तह0 रामगढ़ द्वारा अपीलार्थी व रैस्पो0 सं0 2 व 3 को बिल ऐवज 1,45,000/– रू0 मे किया गया। उक्त वर्णित आराजीयात में 1/2 हिस्सा अपीलार्थी के हक में व शेष 1/2 हिस्सा रैस्पो0 सं0 2 व 3 के हक में विक्रय करार किया गया तथा अपीलार्थी व रैस्पो0 सं0 2 व 3 के हक में एक बयनामा उप पंजीयक रामगढ़ के यहां पर दिनांक 15.07.1999 को तस्दीक कराया गया। जो उप पंजीयक रामगढ़ के यहां पर पुस्तक सं0 प्रथम, जिल्द सं0 266 पृष्ठ् सं0 155 क्रम सं0 1880 पर पंजीकृत किया हुआ है। इस रजिस्टर्ड बयनामा के नाम तथा शेष 1/2 हिस्सा रेस्पो0 2 व 3 के नाम बय इंतकाल तस्दीक किया जाना चाहिए था। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कैम्प कोर्ट, रामगढ़ में अपने आदेश दि0 26.07.1999 को –

P.T.O.

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

रैस्पो0 सं. 2 व 3 के एकल स्वामित्व के रूप में तस्दीक फरमा दिया गया। जिस गलत व त्रुटिपूर्ण इंतकाल व विवादित आदेश की जानकारी अपीलार्थी को पूर्व में कभी नहीं रही। अब अपीलार्थी केसीसी की फाईल बनवाने के लिए पटवारी हल्का के पास दिनांक 23.02.2019 को गया तो हाल राजस्व रेकॉर्ड में उपरोक्त वर्णित आराजीयात रैस्पो0 2 व 3 के नाम ही दर्ज होना पाया। तो अपीलार्थी ने सर्वप्रथम रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 15.07.1999 के आधार पर रैस्पो0 1 द्वारा तस्दीक किये गये इंतकाल सं0 491 की नकल हेतु दिनांक 25.02.2019 को आवेदन किया। जिस पर इंतकाल की नकल दिनांक 27.02.2019 को प्राप्त हुई। जिसके पश्चात् अपीलार्थी ने उपरोक्त वर्णित आराजीयात के हाल रेकॉर्ड जमाबन्दी की नकल दिनांक 08.03.2019 को प्राप्त की तो अपीलार्थी ने पाया कि इस त्रुटिपूर्ण इंतकाल का अमल राजस्व रेकॉर्ड में होकर हाल जमाबंदी में रेस्पो0 2 व 3 के नाम ही वादग्रस्त आराजीयात एकल स्वामित्व के रूप में इन्द्राज हो चुका है। इस पर अपीलार्थी ने रेस्पो0 सं0 2 व 3 के जाकर उक्त गलत व त्रुटिपूर्ण तस्दीक हुए विवादित इंतकाल को निरस्त करने व उक्त गलत इंतकाल के आधार पर राजस्व रेकॉर्ड में हुए गलत अंकन को कलमजन व दुरूस्त कराने हेतु निवेदन किया तो रैस्पो0 2 व 3 ने अपीलार्थी को विवादित इंतकाल को निरस्त कराने व हाल राजस्व रेकॉर्ड को दुरूस्त कराने से इंकार कर दिया। जिस पर अपीलार्थी ने कानूनी सलाहकार/एडवोकेट से कानूनी सलाह हासिल की तो अपीलार्थी को एडवोकेट द्वारा बताया गया कि उक्त त्रुटिपूर्ण इंतकाल के विरूद्ध अपीलार्थी को सक्षम न्यायालय में अपील दायर करनी होगी। जिस पर अपीलार्थी ने रूपयों पैसों का इंतजाम कर लिखा पढी कराई। आज दिनांक तक कर व्यतीत हुआ समय काबिले कंडोन है। जिसके लिए पृथक से प्रा0पत्र दफा 5 मियाद अधिनिमय पेश है। निवेदन है कि वादग्रस्त आराजीयात के 1/2 हिस्सा का बय इंतकाल अपीलार्थी के नाम दर्ज व स्वीकार होना था। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रजिस्टर्ड बयनामा दि0 15.07.1999 का अवलोकन नहीं किया और बगैर मौके एवं कब्जे की रिपोर्ट तलब किये गलत इंतकाल रेस्पो0 2 व 3 के हक में स्वीकार कर दिया गया जो अपीलार्थी को अपूर्णीय क्षति है। अपीलार्थी अपने खरीदशुदा आराजी रकबे की केसीसी योजना का व राज्य सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना का लाभ प्राप्त नही कर पा रहा है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 22.11.2017 निरस्त फरमाया जाकर विवादित आराजी के 1/2 खरीदशुदा हिस्से का बय इंतकाल अपीलार्थी के नाम तस्दीक व स्वीकार किया जावें।

विद्वान वकील रैस्पो0 सं0 2 व 3 ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि रैस्पो0 सं0 2 व 3 के द्वारा दिनांक 04.12.2019 को हलफनामा प्रस्तुत कर बयान किया है कि अपीलार्थी द्वारा जो अपील न्यायालय हाज़ा में पेश की गयी है, में अपीलार्थी ने सही तथ्यों पर अपील पेश की है। इसलिए न्यायालय हाजा द्वारा अपील का निस्तारण व न्याय मुताबिक इंतकाल अपील के किया जाता है तो हम रैस्पोडेंट्स को कोई आपत्ति नहीं है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम दफा 5 मियाद अधिनियम के प्रा0पत्र पर विचार किया गया। अपीलांट द्वारा यह अपील आदेश दि0 26.07.1999 के विरूद्ध दि0 14.03.2019 को पेश की गयी है। जो करीब 21 वर्ष के विलम्ब पेश की गयी है। प्रा0पत्र दफा 5 में वर्णित तथ्यों का विश्वास करते हुए तथा नरमी का —

P.T.O.

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। प्रथमदृष्ट्या अपीलार्थी द्वारा पेश अपील के तथ्यों व दस्तावेजात् के अवलोकन तथा रैस्पो0 सं0 2 व 3 के द्वारा बयान से स्पष्ट है कि विवादित इंतकाल से संबंधित आराजी पर अपीलार्थी का 1/2 हिस्सा प्रदर्शित होना पाया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज व स्वीकार किया गया विवादित इंतकाल गलत व त्रुटिपूर्ण है। अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार रामगढ़ के आदेश दिनांक 26.07.1999 जिसके द्वारा इंतकाल सं0 491 रेस्पो0 सं0 2 व 3 के हक में दर्ज व स्वीकार किया गया है, को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार रामगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 15.07.1999 में में दर्ज हिस्सों का अवलोकन कर नियमों के आलोक में विधिसम्मत् निर्णय पारित करें।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकॉर्ड के साथ विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रियानुसार पालनार्थ भिजवायी जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 18–02–2021 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज०) ALWAR (RAJ.)

18/02/2021

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)